26/02/26 आज यह पत्रावली पेश हुयी। प्रार्थी स्वयं उपस्थित। प्रार्थना-पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा जवाब पेश नहीं किया, जिससे पैरोकार सरकार का जवाब प्रार्थना-पत्र बन्द किया जाता है। प्रार्थना-पत्र पर प्रार्थी को सुना तथा पत्रावली का अध्ययन किया। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखा जाकर शा० कि० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)

FORM NO – III
(नियम-26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड (कोटपूतली–बहरोड)

उनवान

ओमवती पुत्र जगमाल जाति अहीर निवासी शहजादपुर नांगलिया

बनाम

तहसीलदार बहरोड

मुकदमा वाद नम्बर 03 / 2026

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मह़जिशियल्स जज	तारीख में जारी हुए
26/7/26	आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट वास्ते आदेश हेतु पेश हुआ। प्रार्थी उपस्थित है। प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी का नाम ओमवती पुत्री जगमाल जाति अहीर निवासी शहजादपुर नांगलिया है। हमारी आराजी खसरा नम्बर 633, 354, 449, 675, 676, 632, 553, 551, 552, 190, 219, 597, 598, 666, 667, 668, 521, 325, 327, 328, 416, 599, 101, 119, 18, 199, 336, 340, 612, 634, 639, 642, 82 83, 84, एवं खाता संख्या 10 वाके ग्राम सहजादपुर नांगलिया में स्थित है। जिसमें उक्त आराजी में प्रार्थी का आराजी के राजस्व रिकोर्ड में ओमवती के स्थान पर कोमोती पुत्री जगमाल दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम ओमवती पुत्री जगमाल निवासी शहजादपुर नांगलिया तहसील बहरोड़ है। उक्त सभी राजस्व रिकोर्ड में प्रार्थी का नाम कोमोती पुत्री जगमाल के स्थान पर ओमवती पुत्री जगमाल जाति अहीर निवासी शहजादपुर नांगलिया तहसील बहरोड़ दर्ज करने आज्ञा प्रदान करने कि कृपा करे। प्रार्थना पत्र दर्ज कर तहसीलदार बहरोड़ को नोटिस जारी कर वास्ते जवाब तलब किया गया। तहसीलदार बहरोड़ बाद सूचना उपस्थित नही आये। हमने प्रार्थी को व्यक्तिगत सुना। पत्रावली का अध्ययन किया गया। ग्राम शहजादपुर नांगलिया की जमाबन्दी संवत 2074–2077 के खाता संख्या 20, 154, 1262, में प्रार्थी का नाम ओमवती पुत्री जगमाल दर्ज है। खाता संख्या 03, 10, 11, 48, 115, 116, 118, 123, 124, 125, 126, 127, वाके ग्राम शहजादुपर नांगलिया में प्रार्थी का नाम कोमोती पुत्री जगमाल दर्ज है। प्रशाक ग्राम पंचायत गुजरवास तहसील बहरोड़ ने अपन वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 11.02.2026 में मृतक जगमाल सिंह पुत्र श्योदानसिंह निवासी शहजादपुर नांगलिया के वारिस प्रमाण पत्र जगमाल सिंह के मिक्षी देवी पत्नी व सुरेश कुमार व सुभाष चन्द पुत्र व ओमवती पुत्री होना अंकित किया है। जमाबन्दी में दर्ज नाम कोमोती गलत दर्ज होना अंकित किया है। प्रार्थी ओमवती के भाई सुभाष पुत्र जगमाल निवासी शहजादपुर नांगलिया ने अपना शपथ पत्र पेश किया है। प्रार्थी के आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड,आयकर विभाग के आयकर कार्ड, में प्रार्थी का नाम ओमवती पत्नी रामावतार निवासी गूँती दर्ज है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का नाम संशोधित	

उपखण्ड अधिकारी
बहरोड (कोटपूतली–बहरोड)

किया जाना न्यायोचित है।

:- आदेश :-

अत: प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिये जाते है कि ग्राम शहजादपुर नांगलिया तहसील बहरोड़ की जमाबन्दी संवत 2074-2077 खसरा नम्बर 633, 354, 449, 675, 676, 632, 563, 561, 562, 190, 219, 597, 598, 666, 667, 668, 621, 325, 327, 328, 416, 599, 101, 119, 18, 199, 336, 340, 612, 634, 639, 642, 82 83, 84, एवं खाता संख्या 10 वाके ग्राम शहजादपुर नांगलिया प्रार्थी का नाम कोमोती पुत्री जगमाल सिंह के स्थान पर ओमवती पुत्री जगमाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। अहकाम बनाम तहसीलदार जारी हो। प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर नम्बर से कम किया जावे। फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आज दिनांक 26/2/26 को यह आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(रामकिशोर मीना-II)

उपखण्ड अधिकारी

बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)